

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 149/2018

आर.सी.एम.एस. :: 2018/00182

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रानी		1. मोहनलाल पुत्र भला जाति मेघवंशी, निवासी सिवास, तहसील रानी जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

—:: आदेश ::—

दिनांक : 6/8/2018



प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरुद्ध अप्रार्थी केसाराम के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सिवास, पटवार हल्का सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 550 किस्म गै.मु. नाला रकबा 0.31 बीघा किस्म बा.दो. के नियम विरुद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह परमार ने वकालत नामा पेश किया, जो वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिवास, पटवार हल्का सिवास तहसील रानी जिला पाली के ख.न. 550 रकबा 0.31 बीघा किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी के दादा रूपा पुत्र दरगा भांबी के पक्ष में दिनांक 20.09.1978 को किस्म परिवर्तन गै.मु. नाला से बा.दो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 21.11.1978 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नाला दर्ज कराने हेतु रेफरन्स फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सिवास, पटवार हल्का सिवास तहसील रानी के ख.न. 550 किस्म गै.मु. नाला रकबा 0.31 बीघा किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नाला दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के दादा रूपा पुत्र दरगा को आदेश दिनांक 20.09.1978 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 21.11.1978 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा रूपा पुत्र दरगा को गैर खातेदार दर्ज किया गया था तथा कालान्तर में उसे खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थिया के हक में किया गया आवंटन विधि विरुद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उपखण्ड अधिकारी के आवंटन ओदश की पालना में तहसीलदार रानी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 21.11.1978 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण भी को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के दादा रूपा पुत्र दरगा भांबी निवास सिवास तहसील रानी जिला पाली (राज.) के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 20.09.1978 एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 21.11.1978 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को भी निरस्त फरमाया जावे।



(भागीस्थ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली